न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रामौतार बनाम कोशल्या

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या– 02/102/2022

30.06.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि खातेदारी आराजी के खाता संख्या 65 खसरा संख्या 117/0.26, 118/2.36 वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुन्तकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें, न करावे ना ही उक्त आराजी के कोई भी भाग पर निर्माण कार्य न करें। ना ही वादीगण को उक्त आराजी में उसके हिस्सेनुसार उपयोग व उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे, ना ही पेडो को काट कर ले जाये एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व/कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को उक्त आराजी के खाता संख्या 65 खसरा संख्या 117/0.26, 118/2.36 वाके ग्राम टहला तहसील टहला को आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.09.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.09.2022 तक विवादित आराजी के विशिष्ट भाग का बेचान न करें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 07.09.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

07/9/22 वकुलाय उप॰ वास्ते जवाब तलबी अप्रार्थी अप्रार्थी 2 व 3 तथा 1 व 4 दि॰ 30/9/22 को पेश हो।

SD॰

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील में जारी
Not press [signature] 15/1/25	15/11/25 ....अभिभाषक मण्डल ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 15/1/25 को पेश हो SDO. 15/01/25 पत्रावली पेश। व बुलाए उपस्थित वकील वादी ने प्रा. पत्र 212 नोट प्रेस में खारीज करने का निवेदन किया वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर ... न्यायालय के पूर्व आदेश, दि. 30/06/22 को खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मुलाहिजा संलग्न हो। [signature] SDO	